

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

थी/वादी

मलादेवी/हरिराम

रूम प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

फतुराम/हनुमान वगैरह

मुकदमा नं. 129/2020

तारिख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुये।

06.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील उभय पक्षकारान एवं पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार अथवा वकूलाय प्रकरण हाजा में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आये। अतः बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं आवाजे लगवाने के उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पक्षकारान स्वयं गैर हाजिर रहे।

अतः वाद का वाद अधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(जीतू कुलहरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)